

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला वाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ २२७

दिनांक 20/02/25

अनवान :-

| | | |
|----------|------|--------------|
| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
| भमराराम | बनाम | मदाराम बगैरा |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी वावत ।

राजस्व आवेदन सं. 263/2024

दिनांक : 12.02.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र नवातला जेतमाल के मौजा हुरों का तला के खेत खसरा सं. 94 रकबा 05.1638 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पट्टे नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी मझम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई विन्दु को आधार मानकर विधिमम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

क्रमांक/भू.अ./2025/ २२८ to 231

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी भमराराम
3. विप्रार्थीगण मदाराम बगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 20/02/25

